

आदेश

सचिव आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 279/ एफ /14xviii- (2) 15-32 /ए/2013 देहरादून दिनांक 18 फरवरी 2014 के अनुक्रम में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पतियों के पुर्न निर्माण, पुर्नस्थापना एवं मरम्मत कार्यों हेतु परगना सतर पर गठित परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) जो " विशेष पुर्ननिर्माण इकाई " से ज्ञात है की दिनांक 14.03.2014 की बैठक में प्राप्त योजनाओं के प्राक्कलनों पर पी0आई0यू0 की सस्तुति के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार प्राक्कलन पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क.स.	आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पति/कार्य /योजना का नाम	समिति द्वारा जाचोपरान्त स्वीकृत लागत	नामित कार्यदायी संस्था / एजेन्सी का नाम	प्रथम किश्त के बतौर अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1-	एकल पेयजल योजना भटवाडीसैण मरोम्मत कार्य	8.54	अधिशारी अभियन्ता, जल संस्थान रुद्रप्रयाग	4.00
2-	एकल पेयजल योजना गीड. भुतेर मरोम्मत कार्य	1.61	---तदैव---	0.75
3-	एकल पेयजल योजना जाखणी मरोम्मत कार्य	3.00	---तदैव---	2.00
4-	एकल पेयजल योजना फलासी मरोम्मत कार्य	2.34	---तदैव---	1.20
5-	एकल पेयजल योजना विचला कोट मरोम्मत कार्य	1.76	---तदैव---	0.80
6-	एकल पेयजल योजना विजराकोट मरोम्मत कार्य	1.95	---तदैव---	1.00
7-	एकल पेयजल योजना घण्डियाल्का मरोम्मत कार्य	3.00	---तदैव---	1.50
8-	एकल पेयजल योजना पोखरी धांधड मरोम्मत कार्य	3.04	---तदैव---	1.5
9-	एकल पेयजल योजना चमस्वाडा मरोम्मत कार्य	2.25	---तदैव---	1.10
10-	एकल पेयजल योजना डुंगरी मरोम्मत कार्य	1.20	---तदैव---	0.80
11-	एकल पेयजल योजना वर्सू मरोम्मत कार्य	2.35	---तदैव---	1.10
12-	एकल पेयजल योजना जोन्दला मरोम्मत कार्य	2.30	---तदैव---	1.10
13-	एकल पेयजल योजना नगरासू भटटगांव मरोम्मत कार्य	2.50	---तदैव---	1.20
14-	अनुरक्षित पेयजल योजना ढौढिक मरोम्मत कार्य	3.77	---तदैव---	1.90
15-	अनुरक्षित पेयजल योजना नौला बणखील मरोम्मत कार्य	3.00	---तदैव---	1.50
16-	अनुरक्षित पेयजल योजना पुलिस लाईन रतूडा	8.90	---तदैव---	4.40
17-	अनुरक्षित पेयजल योजना तल्ला नागपुर मरोम्मत कार्य	2.40	---तदैव---	1.20
18-	अनुरक्षित पेयजल योजना पौरी पिपली मरोम्मत कार्य	1.16	---तदैव---	0.60
19-	अनुरक्षित पेयजल योजना बाडा बांतोली मरोम्मत कार्य	1.14	---तदैव---	0.50
20-	क्षतिग्रस्त सी0सी0 खडिजा मार्ग मुख्य पुल से तिलवाडा बाजार सडक तक	5.15	खण्ड विकास अधिकारी अगस्तमुनि	2.50
21-	तिलवाडा से बलेता तोंक में क्षतिग्रस्त सी0सी0 खडेजा मार्ग मरम्मत	2.00	---तदैव---	1.00

22-	तल्ला बगर से कालाडांग तक क्षतिग्रस्त रास्ते का पुर्ननिर्माण	5.27	अधिशायसी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्तमुनि	2.50
23-	ओथं गधेरा से कप्रवाण भवन तक क्षतिग्रस्त रास्ते का पुर्ननिर्माण	1.94	---तदैव---	1.00
24-	कालाडांग से परगू तोक तक रास्ते का पुर्ननिर्माण	3.10	---तदैव---	1.50
25-	कालाडांग से मल्ला बगर तक क्षतिग्रस्त रास्ते का पुर्ननिर्माण	6.28	---तदैव---	3.00
26-	राजकीय इन्टर कालेज के मार्ग का पुर्ननिर्माण	3.24	अधिशायसी अधिकारी, नगर पंचायत रुद्रप्रयाग	1.50
27-	जजकोट से शमशान घाट तक रास्ते का पुर्ननिर्माण	5.80	---तदैव---	2.90
28-	आमसारी में शिवराज लाल के मकान से जयमण्डी मार्ग तक क्षतिग्रस्त मार्ग का पुर्ननिर्माण	5.23	---तदैव---	2.50
29-	प्रा०वि० बैजीकाण्डई का क्षतिग्रस्त भवन का मरोम्मत कार्य	4.36	मुख्य शिक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग	2.00
30-	प्रा०वि० लदोली का क्षतिग्रस्त भवन का मरोम्मत कार्य	4.78	---तदैव---	2.40
31-	प्रा०वि० दुर्गाधार का क्षतिग्रस्त भवन का मरोम्मत कार्य	4.27	---तदैव---	2.10
32-	प्रा०वि० ग्वाड थापली का क्षतिग्रस्त भवन का मरोम्मत कार्य	10.90		5.00
33-	काण्डई- पिपली बैरागणा मोटर मार्ग के कि०मी० 01 से 05 तक क्षतिग्रस्त दीवार, स्कबर निर्माण एवं मलवा सफाई	44.59	अधिशायसी अभियन्ता, लो० नि० वि० रुद्रप्रयाग	22.00
34-	कलक्टेट पहुंच मार्ग पुलड आवास के समीप क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण	19.96	---तदैव---	10.00
35-	क्षतिग्रस्त सौड खुरड नहर मरम्मत कार्य	5.60	अधिशायसी अभियन्ता, सिचाई रुद्रप्रयाग	2.30
36-	क्षतिग्रस्त चौण्डा सिंराई नहर मरम्मत कार्य	2.44	---तदैव---	1.20
37-	तिलवाडा बाजार बायां तट मदांकनी नदी के कटाव पर सुरक्षा	6.12	---तदैव---	3.00
38-	जवाहर नगर में बी०एड०/पी०जी० कालेज के नीचे बाढ सुरक्षा कार्य	20.00	---तदैव---	10.00
39-	मरगांव मन्दिर होते हुये कोटखाल पैदल मार्ग मरोम्मत कार्य	1.69	प्रभागीय बनाधिकारी रुद्रप्रयाग	0.80
40-	मरगांव से कोटखाल पैदल मार्ग मरोम्मत कार्य	2.33	---तदैव---	1.10
41-	नौना दानकोट से चौरी बगला पैदल मार्ग मरोम्मत कार्य	1.80	---तदैव---	0.90
42-	नरकोटा से थाला पैदल मार्ग मरोम्मत कार्य	1.50	---तदैव---	0.75
43-	पाटा से डबरुखाल पैदल मार्ग मरोम्मत कार्य	2.44	---तदैव---	1.20

44-	च्वीथ से बमसू पैदल मार्ग मरोम्मत कार्य	1.45	---तदैव---	0.70
45-	नवासू से धनकूला पैदल मार्ग मरोम्मत कार्य	2.74	---तदैव---	1.40
46-	नवासू से दैडा गधेरा पैदल मार्ग मरोम्मत कार्य	1.98	---तदैव---	1.00
47-	गुलाबराय से भाण्डाधार हल्का वाहन मरोम्मत कार्य जौब स01	2.34	---तदैव---	1.10
48-	गुलाबराय से भाण्डाधार हल्का वाहन मरोम्मत कार्य जौब स0 2	2.66	---तदैव---	1.30
49-	सुजूकी बगड से चिनग्वाड पैदल मार्ग मरोम्मत कार्य	2.00	---तदैव---	1.00
	कुलयोग-	240.17		117.80

समिति उपरोक्त समस्त योजनाओं /कार्यों की मरम्मत /पुर्ननिर्माण एवं पुर्नस्थापना कार्यों को वर्क चार्ज के आधार पर करकने की अनुमति निम्न शर्तो /प्रतिबन्धों के तहत प्रदान की जाती है:-

1- कार्यदायी संस्था / एजेन्सी रू0 25 लाख तक के एक कार्य को वर्कचार्ज के आधार पर तत्काल मरम्मत /पुर्ननिर्माण/पुर्न स्थापना कार्य करना सुनिश्चित करेगी। 25 लाख से अधिक तथा 100 लाख तक के कार्यों हेतु निविदा आमत्रित की जायेगी। तथा निविदा की अवधि 7 दिन होगी। स्वीकृत आदेश प्राप्त होने पर कार्य तत्काल प्रारम्भ करना होगा। कार्य प्रारम्भ करने की लिखित सूचना पी.आई.यू. समिति को उपलब्ध करानी होगी।

2- उक्त कार्यों हेतु धनराशि प्राप्त होने पर कार्यदायी संस्था को स्वीकृत किये जा रहे आगणनों की धनराशि मध्ये 50 प्रतिशत धनराशि तत्काल भुगतान की जावेगी, तथा 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कार्य समाप्ति के पश्चात् नियमानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाय। कार्यदायी संस्था को कार्य के दौरान आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जावेगी।

3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें नियमानुसार पूर्ण करनी आवश्यक है, एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जावेगा

4- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कमसेकम सहायक अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्वयं स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं, वह स्थल के आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं। स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य करवाना सुनिश्चित करे।

5- आगणन में जिन मदो हेतु धनराशि आकलित / स्वीकृत की गयी है व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की धनराशि का उपयोग दुसरी मदों में कदापि न किया जाय। यदि मद परिवर्तन किया जाता है तो इसके लिये कार्यदायी संस्था के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

6- कार्य की गुणवता एवं समयबद्धता के लिये कार्यदायी विभाग के कार्यालयध्यक्ष एवं कार्यदायी संस्था के अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

7- कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण करवाये जाय। लागत में कोई पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।

8- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् क्षतिग्रस्त कार्य योजना के फोटोग्राफस उपलब्ध कराये जाय, कार्य पूर्ण होने पर योजना स्थल पर साईनबोर्ड पर स्वीकृत धनराशि, कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने का दिनांक व वर्ष, तथा कार्यदायी संस्था का नाम एवं कार्य योजना का पूर्ण विवरण अंकित किया जाय।

9- कार्यों की सत्यता तथा गुणवता का प्रमाणीकरण परगने की परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) अथवा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अथवा परगना स्तर पर इसके निमित गठित कमेटी द्वारा किया

जावेगा। तदनुसार ही कार्यदायी विभाग / संस्था को स्वीकृत धनराशि की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जावेगी।

10- कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या प्रत्येक सप्ताह अनिवार्य रूप से कार्यालय उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी को उपलब्ध करायी जाय।

11- दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों के मरम्मत/ पुर्ननिर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग व अनियमितता की स्थिति में कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी तथा कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कठोर विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।

( चतर सिंह चौहान )

मुख्य कार्य अधिकारी ( पी0आई0यू0 )/  
उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।

संख्या मेमो

कार्यालय उप जिलाधिकारी/ पी0आई0यू0 समिति तहसील रुद्रप्रयाग ।

/ पी0आई0यू0 बैठक -2013-14, दिनांक रुद्रप्रयाग, मार्च 14, 2014

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

करे

1- कार्यदायी संस्था को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तत्काल कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित

2- उप कोषाधिकारी अगस्तमुनि

3- खण्ड विकास अधिकारी, अगस्तमुनि

4- तहसीलदार रुद्रप्रयाग

5- जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी, जिला कार्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

6- जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग

—५५

मुख्य कार्य अधिकारी ( पी0आई0यू0 )/  
उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।